(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 83/2022

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री विद्याशंकर नागर उम्र 47 वर्ष पुत्र श्री गोपाल लाल नागर जाति महाजन नागर निवासी पुष्प कुंज झालावाड मार्ग बारॉ (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स– नागर धाकड प्रोविजन स्टोर, तेल फैक्ट्री झालावाड रोड, बारॉ (राज.)
2. मैसर्स– नागर धाकड प्रोविजन स्टोर, तेल फैक्ट्री झालावाड रोड, बारॉ (राज.)
3. श्री तजम्मुल हुसैन पुत्र श्री मुल्ला खान अली निवासी हल्दिया जी की गली बारॉ राज. (मालिक) मैसर्स– बुरहानी ट्रेडिंग कम्पनी चावल, दाल, पोहा के थोक विक्रेता ब्लाक नं0 13 राजपुरा वार्ड बारॉ।
4. मैसर्स– बुरहानी ट्रेडिंग कम्पनी चावल दाल पोहा के थोक विक्रेता ब्लाक नं0 13 राजपुरा वार्ड बारॉ।
5. श्री सत्यनारायण माहेश्वरी पुत्र श्री रामकिशन खोजागेट रोड धानमण्डी धर्मशाला बूंदी (निदेशक) मैसर्स–श्री शंकर गोरी एग्रो प्रोडक्ट, प्राइवेट लिमिटेड, नैनवा रोड कटूनारा बूंदी (राज.)
6. श्रीमति सीमा माहेश्वरी पत्नि श्री सत्यनारायण माहेश्वरी निवासी खोजागेट रोड धानमण्डी धर्मशाला बूंदी (निदेशक) मैसर्स–श्री शंकर गोरी एग्रो प्रोडक्ट, प्राइवेट लिमिटेड, नैनवा रोड कटूनारा बूंदी (राज.)
7. मैसर्स–श्री शंकर गोरी एग्रो प्रोडक्ट, प्राइवेट लिमिटेड, नैनवा रोड कटूनारा बूंदी (राज.)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोविन्द सहाय गुर्जर खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– अप्रार्थी कम 1,2,3,4 स्वयं उपस्थित
3– अप्रार्थी कम 5,6,7 की ओर से मय ऑथोराईजेशन
(श्री महेश माहेश्वरी, कम्पनी की ओर से प्रतिनिधी)

निर्णय दिनांक 06.01.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ ने इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.09.2022 को मैसर्स– नागर धाकड प्रोविजन स्टोर, तेल फैक्ट्री, झालावाड रोड बारॉ जिला बारॉ (राज.) पर पहुंचा। जहां पर श्री विद्याशंकर नागर पुत्र गोपाल लाल नागर (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति मे निरीक्षण किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:55:28 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.09.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी

नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/एफएसएसए/(एफ–28)नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सीलसंख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **बासमति चावल (श्री मखमल)** एक एक किलो ग्राम के 13 मूल पौली पेक मे आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **बासमति चावल (श्री मखमल)** एक किलो ग्राम मूल पौली पेक में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **बासमति चावल (श्री मखमल)** के एक एक किलो ग्राम के 04 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री विद्याशंकर नागर पुत्र गोपाल लाल नागर (विक्रेता एवं मालिक) को 220/– रूपये (अक्षरे दो सौ बीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **बासमति चावल (श्री मखमल)** एक एक किलो ग्राम के 04 मूल पैक पर ही लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1552 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी. ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1552 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री विद्याशंकर नागर पुत्र गोपाल लाल नागर (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक [illegible] मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर [illegible] करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 [illegible] प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:55:28 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/269 दिनांक 28.09.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1273/PHL/kota/Act/2022/1275 दिनांक 13.09.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **बासमति चावल (श्री मखमल)** एक किलो ग्राम मूल पौली पैक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 30.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1,2,3,4, द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई है। अप्रार्थी क्रम 5,6,7 की ओर से मय ऑथोराईजेशन लेटर के श्री महेश माहेश्वरी द्वारा कम्पनी के प्रतिनिधी के रूप मे उपस्थित होकर, जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर, उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **बासमति चावल (श्री मखमल)** एक किलो ग्राम मूल पौली पैक को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से श्री महेश माहेश्वरी द्वारा कम्पनी के प्रतिनिधी के रूप मे दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के कथनों को दोहराते हुये कहा गया कि नियम तिथि को निर्मित/पैकिंग एवं एक्सपायरी डेट उत्पाद पर नही पायी गयीः अज्ञानता वश हमारे द्वारा पहले चावल उत्पाद पर पैक्ड डेट के स्थान पर सिर्फ पैकिंग माह एवं **EXPIRY BEST BEFORE 3 YEAR FROM THE DATE OF PACKAGING** अंकित किया जाता था जिसे हमने नियमानुसार बदल कर नियत तिथि की पैक्ड डेट एवं एक्सपायरी डेट (पूरी दिनांक) डालना शुरू कर दिया है। इस प्रकार की त्रुटि हमारे द्वारा भविष्य मे कभी नही होगी। निर्माता एवं पैकर्स का नाम एवं पताः हमारे द्वारा इस त्रुटि को अब सही कर लिया गया है एवं हमारा पूरा पता हमने हमारी पैकेजिंग पर अंकित करवा लिया है। श्रीमान के समक्ष नवीन पैकेजिंग मटेरियल (जो कि आर्डर किया जा चुका है) के प्रिंट की कॉपी संलग्न है। उक्त कमियों के अलावा यदि हमारे प्रोडक्ट पैकेजिंग मे कोई कमी पायी गयी है तो हम उसको नियमानुसार सही करवाने का आश्वासन देते है। हमारे द्वारा प्रोडक्ट क्वालिटी मे किसी प्रकार का कोई समझौता नही किया जाता है एवं लिए गए सैंपल की क्वालिटी मे भी कोई कमी नही पायी गयी है। हमे उक्त त्रुटियों हेतु क्षमा करे एव हमे कोई आर्थिक दण्ड ना देने की कृपा करे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट रिपोर्ट क्रमांक 1273/PHL/kota/Act/2022/1275 दिनांक 13.09.2022 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थी को जरिये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:55:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **बासमति चावल (श्री मखमल)** एक किलो ग्राम मूल पौली पैक खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1273/PHL/kota/Act/2022/1275 दिनांक 13.09.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 5,6,7 को कुल जुर्माना राशि 51,000/– रूपये (अक्षरे ईक्कावन हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **06.01.2023** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:55:28 IST
Reason: SelfAttested